13

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 2/2024

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

निम्बाराम गुर्जर पुत्र भैरू गुर्जर निवासी 213 स्कूल के पास बागडी का वास माकडवाली, अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी राजकीय पेरोकार
2. श्री रामनारायण जाट अभिभाषक अप्रार्थी

सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन संख्या आर.जे.14 यू ए 0613 रिलिज बाबत

–:आदेश:–

दिनांक 09.04.2024

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा वाहन रिलिज हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वाहन संख्या आर.जे.14 यू ए 0613 को रसद विभाग अजमेर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 13.01.2024 को सीज किया गया तथा वाहन की उचित देखभाल नही होने से वाहन खराब होने की सम्भावना है। अतः वाहन को रिलिज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि श्रीमान् जिला कलेक्टर, अजमेर के आदेशानुसार अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर दिनांक 13.01.2024 को नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक सहित संयुक्त जांच दल श्री जहीरूद्दीन खिलजी उर्फ सलीम पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी के निवास स्थान फॉयसागर चौकी के सामने वाली गली, दीवान का भट्टा अजमेर पहुँचे। श्री जहीरूद्दीन के विरूद्ध शिकायत इस आशय से प्राप्त हुई थी कि उसके द्वारा वाहनों में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जाती है। जहॉ मोके पर जांच दल पहुँचा तो मकान के पीछे खुले स्थान (बाडा) में दो वाहन मारूति इको एवं मारूति वैन में घरेलू गैस सिलेण्डर के जरिये इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे.14 यू.ए 0613 में गाडी के पिछले हिस्से में फिटेड गेस किट में एक लाल रंग के पाईप, जो रिफिलिंग मशीन से जुडा था, के जरिये घरेलू सिलेण्डर (14.02 किग्रा) लगाकर रिफिलिंग की जा रही थी। रिफिलिंग मशीन इलेक्ट्रिक तार से विघुत कनेक्शन में जुडी थी तथा मशीन चालू थी, जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर एस.आर. नम्बर टी 47177 के जरिये इस वाहन में एलपीजी गैस स्थानान्तरित की जा रही थी। इस मारूति वैन का ड्राइवर गोविन्द भाट पुत्र श्री लक्ष्मण भाट निवासी रतनपुरा, तहसील मसूदा का होना बताया । श्री गोविन्द भाट वाहन चालक वाहन संख्या मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू.ए. 0613 ने मौके पर अपने वयान में वताया कि गैस रिफिलिंग के लिए सलीम 1100 रूपये लेता है, जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डर, रिफलिंग मशीन मय पाईप स्वयं सलीम का होता है, जबकि श्री सलीम के वयान के अनुसार गाडी वाला स्वयं अपना सिलेण्डर लेकर आता है जिसकी रिफिलिंग के वह 50/– रूपये लेता है । मानव जीवन के लिए अत्यत घातक श्री जहीरूद्दीन का

डॉ. [illegible]
जिला कलक्टर, अजमेर

यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों तथा एलपीजी आदेश 2000 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः ऐसी स्थिति में राजहित में दोनो वाहन मारूति इको, ग्रे कलर रजिस्टर्ड नम्बर आर.जे. 01 सीई 5985, मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे.14 यू. ए. 0613 दो इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन, 39 गैस सिलेण्डर एवं 500 प्लास्टिक कैप को राजहित में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कब्जेराज लिया गया। दोनो वाहन पुलिस थाना गंज अजमेर को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किये गये। जब्तशुदा 39 सिलेण्डर, 500 कैप, दोनो रिफिलिंग मशीन अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु ख्वाजा गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री प्रकाश चन्द खैतावत पुत्र श्री पूरणचन्द खैतावत, निवासी डिग्गी बाजार, रैगरो का मौहल्ला, खेतावत चौक, अजमेर को सुपुर्द किये गये। श्री जहीरूद्दीन ने मौके पर अपने बयान में यह स्वीकार किया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने पुनः गैस रिफिलिंग का अवैध करोबार शुरू किया और औसतन दिन में 10–12 वाहनों में गैस रिफिलिंग करता है तथा प्रत्येक सिलेण्डर भरने के 50/– रूपये लेता है। अतः जब्तशुदा वाहन मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करे।

जवाब में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 को रसद विभाग अजमेर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दिनांक 13.01.2024 को सीज किया गया तथा वाहन स्टार्ट नहीं होने से वहां रखा हुआ था। अतः वाहन को रिलिज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया । साथ ही मूल प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग को रोकने के तहत दिनांक 13.01. 2024 को नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक सहित संयुक्त जांच दल श्री जहीरूद्दीन खिलजी उर्फ सलीम पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी के निवास स्थान फॉयसागर चौकी के सामने वाली गली, दीवान का भट्टा अजमेर पहुँचे। वरवक्त मौके पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। मौके पर मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे.14 यू.ए 0613 में गाडी के पिछले हिस्से में फिटेड गेस किट में एक लाल रंग के पाईप, जो रिफिलिंग मशीन से जुडा था, के जरिये घरेलू सिलेण्डर (14. 02 किग्रा) लगाकर रिफिलिंग की जा रही थी। रिफिलिंग मशीन इलेक्ट्रिक तार से विघुत कनेक्शन में जुडी थी तथा मशीन चालू थी, जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर एस.आर. नम्बर टी 47177 के जरिये इस वाहन में एलपीजी गैस स्थानान्तरित की जा रही थी। श्री गोविन्द भाट वाहन चालक, मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 ने मौके पर अपने बयान में बताया कि गैस रिफिलिंग के लिए सलीम 1100 रूपये लेता है, जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डर, रिफलिंग मशीन मय पाईप स्वयं सलीम का होता है, जबकि श्री सलीम के बयान के अनुसार गाडी वाला स्वयं अपना सिलेण्डर लेकर आता है जिसकी रिफिलिंग के वह 50/– रूपये लेता है वक्त जांच मौके पर एक मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 खडी पाई मौके पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी जब्तशुदा मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 को पुलिस थाना गंज को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दी। प्रार्थी ने मारूति कार को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिंग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी ने वाहन सुपुर्दगीनामा पर देने के सबंध में वाहन मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 को अवैध

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

गैस रिफलिंग पदार्थ कारोबार में लिप्त एवं अप्रार्थी अवैध गैस भरवाने हेतु मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 के अधिहरण के आदेश दिये जाते है इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को जब्त वाहन मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज जिला रसद अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावें। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्ये नीलामी निस्तारण किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर